

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,  
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-64/2013/32  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

1. कलेक्टर,  
जिला भोपाल
2. संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,  
भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत भोपाल
4. आयुक्त  
नगर निगम भोपाल।

विषय :-भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।  
संलग्न :- यथोपरि

( सुप्रिया पेंडके )  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
भोपाल दिनांक 9/10/2015

पृ0क0-एफ 3-64/2013/32  
प्रतिलिपि :-

आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को  
संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

*Suvarna*  
अवर सचिव


मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

*R*  
16.10.15  
Dman(S)

क. शासन योजना  
का website पर upload करवाए

*6/10/15*

1069/H/C  
16/10/15



मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

क्रमांक-एफ-3-64/2013/32 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

भोपाल, दिनांक 9/10/2015

अनुसूची

क्र०	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम खजूरी	138/ग	6.718 हेक्टेयर में से 2.2724 हेक्टेयर	आवासीय, कृषि एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक) एवं मार्ग
		योग-	2.2724 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(एस के मुद्गल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

6/10/15